दिनांक 06.1.18 को निर्णय की सत्यापित प्रति नि:शुल्क वादी/प्रतिवादी को जारी की गयी है।
अध्यक्ष 06/1/18

दिनांक 03.01.2018 को निर्णय की सत्यापित प्रति नि:शुल्क वादी/प्रतिवादी को जारी की गयी है।
अध्यक्ष 03/1/2018

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, द्वितीय, आगरा।

परिवाद संख्याः— 254/2014

चतुर्भुज गुप्ता पुत्र स्व0 श्री नारायण शरण जैन उम्र 56 वर्ष, जाति 82, जगन्नाथपुरी, मथ .....,परिवादी।

बनाम

1— प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऊर्जा भवन, बाई पास रोड, सिकन्दरा, आगरा, 282007

2— अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम (मथुरा)

3— उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0ओ0) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कृष्णानगर, मथुरा।

.....विपक्षीगण।

उपस्थितः— 01— श्री अशोक कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष।
02— श्रीमती शीला यादव, सदस्य।

दाखिला का दिनांकः— 18.12.2014
निर्णय का दिनांकः— 02.01.2018

श्रीमती शीला यादव, सदस्य द्वारा उद्घोषित ।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध दायर किया गया है।

परिवाद का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी की एक लघु स्तरीय दुकान (जनरल मर्चेन्ट) पर एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन नं0— 58819 सन 2000 से श्री चतुर्भुज गुप्ता के नाम से चालू है, जिसका बिल परिवादी प्रतिमाह दिसम्बर 2006 तक जमा करवाता रहा। विद्युत विभाग ने परिवादी का दुकान का विद्युत कनेक्शन दिनांक 31—01—2007 से 16—08—2007 तक पूरा विद्युत बिल जमा होने के बावजूद काट दिया था, जिसके बाबत परिवादी ने इसी न्यायालय में वाद सं0— 62/2007 दिनांक 25—04—2007 को दायर किया था जिसका निर्णय दिनांक 18—12—2012 को पारित किया गया था। परिवादी के सभी बिलों को संशोधित/समायोजित करते हुए दिनांक 31—01—2007 से 24—09—2012 को एक बिल नं0— 935605398605 मु0 25,828/— रू0 40 पैसे के एवज में मु0 8,833